संख्या-128/2022/2983/26-3-2022-4(215)/90 टी.सी.।।।

प्रेषक,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 20 दिसम्बर, 2022**

विषयः वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित डाटा का जनपद स्तर से अवशेष सत्यापन पूर्ण कराये जाने हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-सी-3690/स0क0/ शिक्षा-अ/2/76/2022-23, दिनांक-14.12.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2022-23 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित डाटा का जनपद स्तर से अवशेष सत्यापन पूर्ण कराये जाने हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासनादेश संख्या-46/2022/903/26-3-2022-4(215)/90टी0सी0-।।। दिनांक 02.05.2022 द्वारा निर्गत समय-सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः-

क्र. सं.	प्रक्रियात्मक कार्यवाही (प्रथम चरण)	कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि कक्षा 9-10 हेतु	प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित समयावधि कक्षा 9-10 हेतु
1	**2**	**3**	**4**
1	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	05 नवम्बर, 2022 से 05 दिसम्बर, 2022 तक	20 दिसम्बर, 2022 से 30 दिसम्बर 2022 तक
2	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	10 दिसम्बर 2022 तक	05 जनवरी, 2023 तक
3	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ईपेमे-एड) e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्रबैंक /छात्राओं के आधार लिंक खातों/ खातों में सीधे धनराअन्तरित किया जाना।	15 दिसम्बर, 2022 तक	10 जनवरी,2023 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-46/2022/903/26-3-2022-4(215)/90टी0सी0-।।। दिनांक 02.05.2022 द्वारा जारी समय-सारिणी में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) की कक्षाओं से सम्बन्धित डाटा का जनपद स्तर से अवशेष सत्यापन पूर्ण कराये जाने एवं समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु दी गयी समयावधि उक्तानुसार संशोधित मानी जायेगी।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022-23 में पूर्वदशम योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव।

पृ0सं0-128/2022/2983(1)/26-3-2022 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।